

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1970/पीव 10, 1892

No. 216] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 1970/PAUSA 10, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 1970

G.S.R. 2071/ESS. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1968, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby fixes the minimum price that shall be payable by the owner of the Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Islampur, Post Borgaon, Distt. Sangli or his agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre during the year 1969-70, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Depart-

ment of Food) No. G.S.R. 2361/Ess.Com./Sugarcane, dated the 30th September, 1969, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification under the heading "Maharashtra",—after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"34A	Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Islampur, Post Borgeon, Distt. Sangli.	7.37".

[No. 14-6/68-Sugar.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1970

सा०का०मि० 2071/आवश्यक वस्तु/ईख.—ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकरणों निकायों और संगमों से, जिनको वह परामर्श किए जाने के लिए आवश्यक समझती है, परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा वह न्यूनतम कीमत नियत करती है जो बल्वा तालुका सहकारी शक्कर कारखाने लिमिटेड, इस्लामपुर, डाकखाना बोरगांव जिला सांगली के स्वामी या उसके अधिकर्ता द्वारा फैक्टरी द्वार पर या किसी भी क्रय केन्द्र पर, ईख परिदत्त करने के लिए 1969-70 के दौरान संदेय होंगी और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०मि० 2361 आवश्यक सामग्री/ईख, तारीख 30 सितम्बर, 1969 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, "महाराष्ट्र" शीर्षक और के नीचे—क्रम संख्या 34 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
" 34 क	बल्वा तालुका सहकारी शक्कर कारखाने लिमिटेड इस्लामपुर, डाकखाना बोरगांव जिला सांगली।	7.37

[सं० 14-6-68-सूगर]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव।